पत्र सं०–6 एस०एस०(6)29/2025–2206/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 499.80 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के विपणन तंत्र का सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 499.80 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के विपणन तंत्र का सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. कॉम्फेड के विपणन केन्द्र बिहार एवं अन्य राज्यों में हैं। वर्त्तमान में इनकी संख्या 34,400 से भी अधिक है। जहाँ से उपभोक्ता दूध एवं उत्पादों का क्रय करते हैं। आईस्क्रीम एवं अन्य दुग्ध उत्पाद जिन्हें शीतकरण की आवश्यकता होती है, के विपणन को बढ़ाने के लिए डीप फ्रीजर के वितरण का प्रस्ताव है जिसका उपयोग हॉकर तथा रिटेलर करेंगे। साथ ही कॉम्फेड अब अपने दुग्ध उत्पादों का निर्यात भी कर रही है। मार्च, 2025 में कॉम्फेड के द्वारा अन्तराष्ट्रीय बजार में 5 मी०टन० घी अमेरिका एवं 8 मी०टन० गुलाबजामुन कनाडा भेजा गया है। निर्यात के कार्य को बढ़ावा देने हेतु देश के बाहर स्टॉल लगाने का खर्चा, विदेश यात्रा के खर्च, रहने का खर्च, माल ढलाई एवं शिपिंग लागत, प्रचार और विपणन सामग्री खर्च, ब्रान्ड पंजीकरण, लेबल पंजीकरण Intellectual Property Right (IPR) तथा अन्य संबंधित गतिविधियाँ में होने वाले खर्च को सम्मिलित किया गया है।

3. प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की शीत श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना, थोक विक्रेताओं व आऊटलेट्स पर गुणवत्तापूर्ण भंडारण की व्यवस्था, बिहार के दुग्ध उत्पादों को बाहरी राज्यों व अन्तराष्ट्रीय बाजार में

पहुँचाना, विपणन क्षमता को बढ़ाकर बिक्री को बढ़ावा देना, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार– शीत भंडारण की सुविधा से उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उपभोक्ताओं को ताजे एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे– जिससे उपभोक्ता संतुष्टि और विश्वास बढ़ेगा, किसानों को स्थिर मांग का लाभ मिलेगा– बाजार मजबूत होने से दूध की खपत बढ़ेगी और किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था एवं दुग्ध उद्योग को प्रोत्साहन– निर्यात और बाजार विस्तार से कॉम्फेड की स्थिति सशक्त होगी।

4. इस योजना के तहत 500 लीटर (हार्ड टॉप) डीप फ्रीज @0.30 लाख प्रति इकाई के दर से 1266 डीप फ्रीज का क्रय किया जाना है एवं निर्यात संवर्धन में ₹ 120.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

5. इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. प्रस्तावित योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

8. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

9. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता :–

(i) बजट शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0116 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020116, विषय शीर्ष–0116.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद।

(ii) बजट शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0103 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404007890103, विषय शीर्ष–0103.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद।

10. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

11. दिनांक–08.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)29/2025 के पृष्ठ 07–06/प०.

12. चुँकि यह योजना सात निश्चय–2 के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)29/2025 के पृष्ठ–08/टि० दिनांक–15.05.2025.

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)29/2025 के पृष्ठ–07/टि० तथा डायरी सं०–230, दिनांक–15.05.2025.

14. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन
19/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025–2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025–2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025–2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025–2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025– 2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025– 2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2025– 2206/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 499.80 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के विपणन तंत्र का सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति के लिए व्यय विवरणी।

(राशि लाख में)

विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	अनुमानित लागत व्यय	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
(i) विपत्र कोड 02–2404001020116, विषय शीर्ष–0116.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद।	डीप फ्रीज 500 लीटर (हार्ड टॉप) रु० 0.30 लाख की दर से 1266 डीप फ्रीज–1266 X 0.30=379.80 एवं निर्यात संवर्धन–120.00 लाख	289.80	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
(ii) विपत्र कोड 02–2404007890103, विषय शीर्ष–0103.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद।	डीप फ्रीज 500 लीटर (हार्ड टॉप) रु० 0.30 लाख की दर से 1266 डीप फ्रीज–1266 X 0.30=379.80 एवं निर्यात संवर्धन–120.00 लाख	210.00		
	कुल योग :–	**499.80**		

(रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) मात्र

2206
20/05/25

19/5/25

सरकार के अपर सचिव